

ममता शर्मा
जैतपुर



फ़ोन नं. : 26666201
26666202
मै. : 9958693201

कार्यालय : P-1, हरी नगर विस्तार
दिल्ली-110044

OFFICE OF UDM

Dy. No. 4130

Date 23-11-11

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
AREA PLANNING ZONE-E & O
REVIEW OF MPD-2021
NEW SUGGESTION

Dy. No. SUGG 46
DATE 12-12-11

14/11/11

माननीय नगर निगम-दिल्ली
माननीय शहरी विकास मंत्री
भारत सरकार

MS/SUGG/11

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
दिल्ली-110044

विषय:- मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा मेरे वार्ड जैतपुर (201) को गलत तरीके से ओ जोन (Zone O) में डाले जाने के संदर्भ में।

श्रीमानजी,

इस पत्र के माध्यम से आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा तैयार किये गये दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में मेरे वार्ड जैतपुर (201) को जोन ओ (Zone O) मानव यमुना नदी का अग्रभाग/किनारा घोषित किया गया है जो कि मनुष्य गलत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यमुना बेड या यमुना नदी को धारा से दोनों ओर 300 मीटर के क्षेत्र में आ रहे इलाके को यमुना नदी का किनारा माना है व इस क्षेत्र के संरक्षण पर जोर दिया है।

श्रीमानजी, मेरे वार्ड जैतपुर (201) को दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में ओ जोन (Zone O) घोषित किया गया है। इनमें अनाधिकृत कालोनियां जो दिल्ली सरकार की 1609 की सूची में सूचीबद्ध हैं शामिल हैं व यहाँ कि आवासीय लगभग टाई लाइन्स से भी ज्यादा है। इस क्षेत्र को ओ जोन में शामिल करने से क्षेत्र के निवासियों में बेहद रोष व्याप्त है। नहरपार के मेरे इस वार्ड क्षेत्र जैतपुर (201) को ओ जोन (Zone O) में शामिल करने से हमें कई सरकारी विकास कार्यों में बाधा आ रहा है। जिसमें इतनी बड़ी आवासीय के लिये जैतपुर विस्तार भाग- में बनने वाला नगर निगम का विद्यालय, जैतपुर गांव में दिल्ली जल बोर्ड की सिटी वाटर सौंवर प्रोटैमेट लाइट व इस पूरे क्षेत्र के लिये पुराने स्टेशन की रिवाइलिंग व दिल्ली नगर निगम की पैनी हो कई योजनाएँ हैं जो कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा इस क्षेत्र को जोन ओ (Zone O) में डाले जाने की वजह से अधर में लटक गई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा मास्टर प्लान 2021 में यमुना नदी के किनारे बसे गांधी नगर, लक्ष्मी नगर व अक्षरपुर के इलाके को पी. जोन (Zone P) में रखा है, क्योंकि यह इलाका यमुना नदी से 1 किलोमीटर के दायरे में आता है परन्तु मेरे क्षेत्र की वो कालोनियाँ जो यमुना फ्रंट पर भी नहीं है, अपितु उनके व यमुना नदी के बीच में हरियाणा की पूर्ण आधिपत्य थी हुई है, जिसमें गाँव, सैक्टर व कालोनियाँ शामिल हैं, व यमुना नदी से 3 से लेकर 6 किलोमीटर दूर हैं, उनको भी यमुना फ्रंट बनाकर जोन ओ (Zone O) में शामिल किया गया है, जो कि हमारे साथ धोरा अन्याय है। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि आप कृपया मेरे क्षेत्र को ओ जोन से हटाकर एफ. जोन में डालने की कृपा करें। हम आपके संदेव आभारी रहेंगे।

OFFICE OF THE DIR (Pig.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No. 2134
Dated 24-11-12

आपकी आत्मीयता,
(ममता शर्मा)

- प्रतिलिपी:-
- 1- माननीय उपगण्यपाल, गजनिवास, दिल्ली
 - 2- माननीय निदेशक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
 - 3- माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, सिविक सेंटर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, नई दिल्ली।
 - 4- श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली, 9 तारकटोरा रोड, नई दिल्ली।
 - 5- श्री रामसिंह नेताजी, विधायक, वदरपुर, नई दिल्ली।

Mamta Sharma